<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.)</u>

Phone No. 07723-222939, Email – dlsa.mahasamund@gmail.com

//आदेश//

क्रमांक : 31/LADCS/2023 **महासमुन्द, दिनांक 08 मई 2024**

इस जिला प्राधिकरण के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु स्टाफ के रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 04.08.2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती चयन समिति महासमुन्द की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/स्था/कै.23/2024 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से **दिनांक 30.04.2025 तक के लिए** निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) की राशि
1	श्री मोहन लाल पिता स्व.श्री चन्द्रशेखर, पता–ग्राम घोघरा, वार्ड नं. 13, मंदिरपारा, पो–घोंच, तहसील–पिथौरा, जिला महासमुन्द	कार्यालय सहायक/क्लर्क	15000/- प्र.मा.
2	श्री अमित कुमार पिता श्री आत्माराम, पता–ग्राम हरमुड़ी, पोस्ट–कंवराकांपा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा	रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट)	12000/- प्र.मा.
3	श्री दुर्गेश कुमार साहू पिता श्री गणेश राम साहू, पता –सोनम कम्प्युटर, तहसील कार्यालय के सामने पण्डरिया, जिला कबीरधाम	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट)	9000/- प्र.मा.

<u>नियुक्ति की शर्तें –</u>

1. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।
3. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रकट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

4. उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा।
5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल नालसा के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष की लिये अर्थात **दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 तक** की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है।
6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल /20/2019 – नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F-N-L/ 20/2019&NALSA दिनांक 11–02–2023 एवं पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक F-N-L/ 20/2019&NALSA दिनांक 14–02–2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेगें । यदि कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक नहीं हा. ेने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/रा. जनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सू. चना के समाप्त कर दी जावेगी ।
7. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें ।
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-No- L-27/2022-NALSA(Part File) / 4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा। उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त संविदा भुगतान, मानदेय (रिटेनरशिप) के रूप में हैं, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

सही/–
(श्रीमती अनिता डहरिया)
अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमांक : 969 / LADCS / 2023 महासमुन्द, दिनांक 08 मई 2024

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर
2. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति / प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुन्द
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग जिला न्यायालय महासमुन्द
5. श्री मोहन लाल पिता स्व.श्री चन्द्रशेखर, पता–ग्राम घोघरा, वार्ड नं. 13, मंदिरपारा, पो–घ ोंच, तहसील–पिथौरा, जिला महासमुन्द पिन–493551
6. श्री अमित कुमार पिता श्री आत्माराम, पता–ग्राम हरमुड़ी, पोस्ट–कंवराकांपा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, पिन–491337
7. श्री दुर्गेश कुमार साहू पिता श्री गणेश राम साहू, पता –सोनम कम्प्युटर, तहसील कार्यालय के सामने पण्डरिया, जिला कबीरधाम, पिन– 491559

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सही / –
(श्रीमती अनिता डहरिया)
अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
महासमुन्द (छ.ग.)